राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड,
राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

www.rsmssb.rajasthan.gov.in दूरभाष नं. 0141–2722520

क्रमांकः प.8(8) प.आ./पर्यवेक्षक.(अनुसुचित क्षेत्र)/RSMSSB/ 2015/786 दिनांक : 18-12-15

विज्ञप्ति

राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम– 1998 के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाएँ, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये पर्यवेक्षक सीधी भर्ती (अनुसूचित क्षेत्र) हेतु बोर्ड द्वारा दिनांक 20.12.2015, (रविवार) को प्रातः 10.00 बजे से मध्यान्ह पश्चात् 01.00 बजे तक राजस्थान राज्य के उदयपुर जिला मुख्यालय पर निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित की जावेगी।

परीक्षार्थी अपना प्रोविजनल ई–प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in से दिनांक 13.12.2015 के पश्चात् से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें। बोर्ड द्वारा अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों की गहन जॉच की व्यवस्था की गई है । अतः परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से एक घंटा पहले अवश्य पहुँच जायें, ताकि वे जॉच के बाद समय पर परीक्षा कक्ष में पहुँच सकें।

परीक्षार्थी मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ब्लूटूथ, घड़ी आदि साथ में लेकर नहीं आवें। परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में सिर्फ ई–प्रवेश पत्र, नीला पारदर्शी बॉल पेन, स्वयं के पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो और फोटोयुक्त एक पहचान पत्र साथ में लेकर आने की ही अनुमति है। पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने के पश्चात् ही परीक्षार्थी को केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा।

जिन विशेषयोग्यजन अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक देय है, वे चिकित्सा प्रमाण–पत्र के साथ अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक को परीक्षा दिवस से तीन दिन पूर्व अवश्य प्रस्तुत कर देवें। आवेदन पत्र में रही त्रुटि, एप्लीकेशन व टोकन नम्बर के अभाव में प्रवेश–पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया व अन्य विस्तृत निर्देशों के लिए बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in अवश्य देखें।

(सांवर मल वर्मा)
सचिव

क्रमांक : प. 8(8) प.आ./पर्यवेक्षक(अनुसुचित क्षेत्र)/RSMSSB/2015/786 दिनांक :/18-12-15

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका के राजस्थान राज्य के **उदयपुर संभाग** के संस्करणों में दिनांकः 19.12.2015 को प्रकाशित करवायें एवं बिल भुगतान हेतु बोर्ड कार्यालय को प्रेषित कर दें।
2. प्रभारी, आई.टी. प्रकोष्ठ से भी यहाँ लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को बोर्ड की वेबसाईट पर प्रकाशित करावें।

सचिव